उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-160 /2018/2345/92-2-18-03जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 12 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर में अवर अभियंता के पद पर कार्यकाल के दौरान निर्माण कार्यो/शासकीय कार्यो के सम्पादन में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त पाये जाने पर श्री अजय पाल सिंह, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-एटा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-31/2018/213/92-2-18-03जांच/18 दिनांक 13-02-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्यअभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री अजय पाल सिंह अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30-09-2018 को सेवानिवृत्त हो गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री अजय पाल सिंह के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-160/2018/2345(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री अजय पाल सिंह, तत्का0 अ0अभि0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर (सम्प्रति से0नि0) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।